निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-100/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक - प्रथम, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप निबन्धक - प्रथम, हरिद्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री विनय कुमार द्विवेदी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.11.2018 से 14.11.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.08.2017 से 18.08.2017 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** -तहसील हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	3296.51
2016-17	3079.65
2017-18	3904.96

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16			शून्य					
2016-17								
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

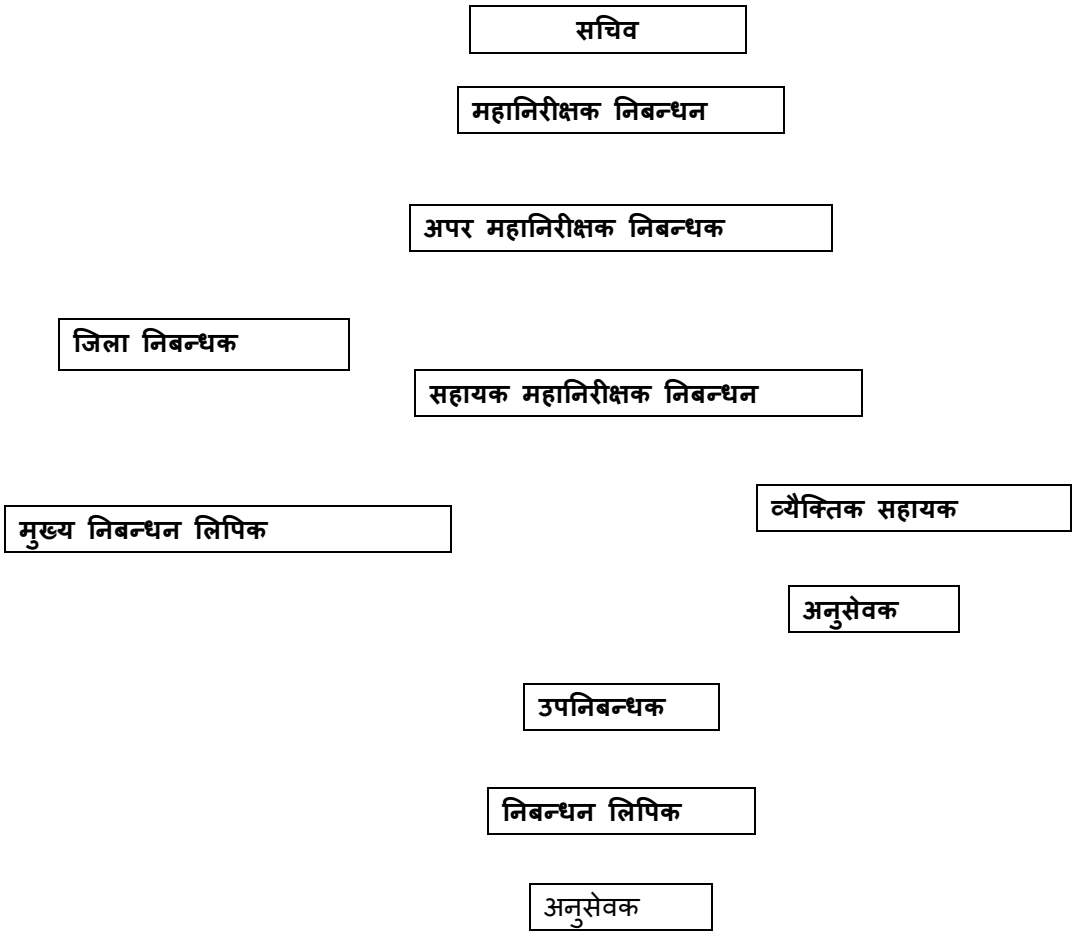

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हरिद्वार तहसील, लेनदेन लेखापरीक्षा यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक - प्रथम, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 1 : निबंधन शुल्क अनारोपित रहना ₹ 0.25 लाख।

भारतीयर जिस्ट्रेशन अधिनियम – 1908 के परिशिष्ठ - 7 की टिप्पणी 1 में प्रावधान किया गया है कि किसी दस्तावेज़ के निबंधन के लिए फीस जिसमें सुभिन्न मामले समाविष्ट हों, ऐसे फीस योग्य होगी, जो प्रत्येक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उससे संबन्धित पृथक-2 दस्तावेज़ पर प्रभार्य होगी।

बही सं० 1, जिल्द 4015 क्रमांक 3304 दिनांक 27.06.2017 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति मे दो विक्रेता है आयकर प्रमाण पत्र मे दोनों विक्रेता अपने अपने अंश की धनराशि प्राप्त कर रहे है तथा आयकर भुगतान कर रहे हैं अत : दो सुभिन्न प्रकरण होने से दो निबंधन शुल्क, अधिकतम 5,0000/- वसूल किया जाना चाहिए था जबकि निबंधन शुल्क मात्र 25000/- ही वसूल किया गया इस प्रकार रु 250,00/- का निबन्धन शुल्क कम वसूल किया गया|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने कहा कि प्रकरण मे टीडीएस को हिस्साकसी का आधार बनाया गया हैं| विलेख मे कही पर भी हिस्से नहीं खोले गये हैं| विभाग का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योकि आयकर प्रमाण पत्र मे दोनों विक्रेता अपने अपने अंश की धनराशि प्राप्त कर रहे है तथा आयकर भुगतान कर रहे हैं जिससे हिस्साकसी का मामला उत्पन्न हो जाता हैं |

अत: निबंधन शुल्क ₹ 25000/- अनारोपित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 2 : निबंधन शुल्क अनारोपित रहना ₹ 3.80 लाख।

भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम – 1908 के परिशिष्ठ - 7 की टिप्पणी 1 में प्रावधान किया गया है कि किसी दस्तावेज़ के निबंधन के लिए फीस जिसमें सुभिन्न मामले समाविष्ट हों, ऐसे फीस योग्य होगी, जो प्रत्येक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उससे संबन्धित पृथक-2 दस्तावेज़ पर प्रभार्य होगी।

(1) कार्यालय उपनिबंधक प्रथम हरिद्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक की अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बही सं० 1, जिल्द 4003 क्रमांक 2993 दिनांक 12.06.2017 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति में संलग्न मानचित्र में कुल 22 प्लाट है, जिनमे प्लाट संख्या 01 से 06 तक सड़क द्वारा पृथक है, तथा प्लाट संख्या 7 से 16 तक दूसरी सड़क द्वारा पृथक एवं प्लाट संख्या 17 से 22 तक पृथक है अत: संपत्ति तीन भागो मे विभाजित हो रही हैं जिससे तीन सुभिन्न मामले उत्पन्न होने से तीन निबंधन शुल्क ,अधिकतम 75000/- वसूल किया जाना था जबकि निबंधन शुल्क मात्र 25000/- ही वसूल किया गया इस प्रकार रु 50000/- का निबन्धन शुल्क कम वसूल किया गया|

(2) बही सं० 1, जिल्द 3971 क्रमांक 2207 दिनांक 06.05.2017 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति में बिक्रेतागण की सख्या 16 है जिन्होने अपने-अपने हिस्से की भूमि एवं निर्माणाधीन भवन का बिकय किया है और धनराशि प्राप्त की है, और टी0डी0एस0 का भुगतान किया है | इस लिए निबंधन शुल्क 16 लिया जाना चाहिए था, जो कि नही लिया गया था निबंधन शुल्क की निम्न है:-

कुल देय निबंधन शुल्क : ₹ 3,38,580/=

भुगतान किया गया निबंधन शुल्क = ₹ 1,57,780/-

शेष निबंधन शुल्क जो भुगतान किया जाना है = ₹ 1,80,800/-

(3) बही सं० 1, जिल्द 4014 क्रमांक 3293 दिनांक 27.06.2017 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति मे तीन विक्रेता है आयकर प्रमाण पत्र मे तीनों विक्रेता अपने अपने अंश की धनराशि प्राप्त कर रहे है तथा आयकर भुगतान कर रहे हैं अत : तीन सुभिन्न प्रकरण होने से तीन

निबंधन शुल्क अधिकतम 75,000/- वसूल किया जाना चाहिए था जबकि निबंधन शुल्क मात्र 25000/- ही वसूल किया गया इस प्रकार रु 50,000/- का निबन्धन शुल्क कम वसूल किया गया |

(4) बही सं० 1, जिल्द 4340 क्रमांक 1671 दिनांक 19.03.2018 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति मे बिक्रेता पाँच है, जिन्होने अपने-अपने हिस्से की भूमि को बिक्रय किया है तथा अपने अंश की धनराशि प्राप्त की है, और टी0डी0एस0 का भुगतान किया है इसलिए निबंधन शुल्क पाँच लिया जाना चाहिए था, जो कि नही लिया गया था निबंधन शुल्क की निम्न है:-

कुल देय निबंधन शुल्क : ₹ 1,25,000/=

भुगतान किया गया निबंधन शुल्क = ₹ 25,000/-

शेष निबंधन शुल्क जो भुगतान किया जाना है = ₹ 1,00,000/-

इस प्रकार उपरोक्त विलेख पत्रो में कुल निबंधन शुल्क रू 3,80,800/- (50000 +180800+50000+100000) की वसूली न किए जाने के कारण राजस्व हानि हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने कहा कि प्रकरण में अध्ययनोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी |

अत: निबंधन शुल्क ₹ 3,80,800/- अनारोपित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	2 अ	2 ब	2 अ	2 ब	2 अ	2 ब
35/99-00	-	1	-	-	-	1
181/02-03	-	1	-	-	-	1
05/03-04	1	-	-	-	1	-
10/13-14	1	-	-	-	1	
36/15-16	सभी आपत्तियाँ निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल कर ली गयी है।					
54/17-18	-	01,02,03	-	-	-	01,02,03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
	शून्य		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप निबन्धक - प्रथम, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री भावना कश्यप	उप निबन्धक	(4/17 से जुलाई 18 तक)
(ii)	श्री सुमेर चन्द गौतम	उप निबन्धक-प्रथम	(जुलाई 18 से अब तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप निबन्धक - प्रथम, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र